रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 389] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 1981/अग्रहायण 10, 1903
No. 389] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 1981/AGRAHAYANA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## श्रम मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर 1981

**सा० का० नि० 625(अ)**—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (षष्ठ संशोधन) स्कीम, 1981 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में पैरा, 68ङ के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"68च. ऐसे सदस्यों को, जो विकलांग हैं, अग्रिम की मंजूरी:—

(1) किसी ऐसे सदस्य को, जो विकलांग है, विकलांगता के कारण कठिनाइयों को न्यून करने के लिए अपेक्षित किसी उपस्कर का क्रय करने के लिए, निधि में उसके खाते में से अप्रतिदेय अग्रिम अनुज्ञात किया जा सकता है।

(2) उपपैरा (1) के अधीन किसी अग्रिम का तब तक संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सदस्य यथास्थिति, आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी के समाधानप्रद रूप में, किसी सक्षम चिकित्सा व्यवसायी से इस आशय का चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि वह विकलांग है।

(3) इस पैरा के अधीन दी गई अग्रिम रकम, सदस्य की छह मास की आधारिक मजदूरी और महंगाई भत्ते से, या अग्रिमों के उन पर ब्याज सहित उसके अपने हिस्से से या उपस्कर की लागत से, इनमें से जो भी न्यूनतम हो, अधिक नहीं होगी।

(4) इस पैरा के अधीन कोई द्वितीय अग्रिम, इस पैरा के अधीन अनुज्ञात किसी अग्रिम के संदाय की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।"

पाद टिप्पण: प्रधान स्कीम अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1509, तारीख 2 सितम्बर, 1952 द्वारा, भारत के राजपत्र, 1952 में प्रकाशित की गई थी।

[सं० एस० 70012/15/81-पी एफ II]

वी० गोविंदराजन, अवर सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 1981

**G.S.R. 625(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby

makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Sixth Amendment) Scheme, 1981.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 after paragraph 68M, the following sub-paragraph shall be inserted namely :—

"68N :— Grant of advance to members who are physically handicapped :—

(1) A member, who is physically handicapped, may be allowed a non-refundable advance from his account in the Fund, for purchasing an equipment required to minimise the hardship on account of handicap.

(2) No advance under sub-paragraph (1) shall be paid unless the member produces a medical certificate from a competent medical practitioner to the satisfaction of the Commissioner or such other officer as may be authorised by him in this behalf to the effect that he is physically handicapped.

(3) The amount advanced under this paragraph shall not exceed the members' basic wages and dearness allowance for six months or his own share of contributions with interest thereon or the cost of the equipment, whichever is the least.

(4) No second advance under this paragraph shall be allowed within a period of three years from the date of payment of an advance allowed under this paragraph."

Foot Note : Principal scheme published vide Notification No. S.R.O. 1509 dated 2nd September, 1952, Gazette of India 1952.

[No. S. 70012/15/81-PF. II]

V. GOVINDRAJAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981